

## बाल श्रम

**Dr. Babita B. Shukla**

Assistant Professor, Department of Economics  
Shri M. D. Shah Mahila College, Malad (W), Mumbai

### बाल श्रम का अर्थ

बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें की कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा हैसाधारण शब्दों में कहा जाए तो बच्चों से पैसों के बदले कोई व्यवसायिक काम कराना बाल श्रम है। भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की मजदूरी या व्यवसायी कार्य में लगाना बाल मजदूरी या बाल श्रम के अंतर्गत आता है। भारतीय कानून में बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। दुनिया भर में बाल श्रम के लिए अलग अलग उम्र सीमा तय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 18 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक मानता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I.L.O) ने बाल श्रमिक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को माना है। अमेरिका ने 12, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना गया है। दुनिया भर में बाल श्रम ऐसी समाजिक समस्या बन चुकी है जो बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास को बाधित करती है। आज दुनिया भर में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी-किताबों और दोस्तों के बीच नहीं बल्कि होटलों, घरों, उद्योगों में बर्तनों, झाड़ू पोंछे और औजारों के बीच बीतता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह हो चली है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के हिसाब से बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था। 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.7 मिलियन पहुंच गया

### सन्दर्भ ग्रन्थ सुचि

SR NO.	पुस्तककानाम	लेखक	प्रकाशक	वर्ष
1	बाल श्रम और अपराध	विनायक त्रिपाठी	ओमेगाप्रकाशन, नयी दिल्ली	2020
2	बाल श्रमिक समस्या एवं समाधान	मुकेश कुमार दशोरा	हिमांशु प्रकाशन दिल्ली	2006
3	बाल श्रम	रोली शिवहरे, प्रशांत दुबे	विकास संवाद, भोपाल	2010
4	भारत में बाल श्रम	रवि प्रकाश यादव, राखी रॉय	सूचक प्रकाशक, जयपुर	2011
5	बाल श्रम: एक सामाजिक-कानूनी परिप्रेक्ष्य	विजय कुमार दीवान	पेंटागन प्रेसनयी दिल्ली	2009